मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 2788–2जी0एस0–II–71/4280 दिनां 9/72 की प्रति।

विषय : अस्थाई कर्मचारियों को सरकारी सेवा के प्रथम कैलेन्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश का दिया जाना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आप का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह लिखूं कि यह निर्णय किया गया है कि सरकारी सेवा में, हरियाणा लोक सेवा आयोग। अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल की सिफारिश पर (विपरीत उनके जो एम्पलायमैंट एक्सचेंज से तदर्थ तौर पर नियुक्त होते हैं) जो नये कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उनकी सेवा के पहले कैलेण्डर वर्ष में उन्हें आकस्मिक अवकाश का मान निम्न प्रकार से दिया जाना चाहिए :—

(क)	नए भर्ती होने वाले कर्मचारी जो 30 जून से पहले सेवा में सम्मिलित होते हैं।	अधिकतम 10 दिन का अवकाश
(ख)	नए भर्ती होने वाले कर्मचारी जो 30 जून तथा 30 सितम्बर के मध्य सेवा में सम्मिलित होते हैं।	अधिकतम 5 दिन का अवकाश
(ग)	नए भर्ती होने वाले कर्मचारी जो सेवा में 30 सितम्बर के पश्चात् सम्मिलित होते हैं।	अधिकतम 2 दिन का अवकाश

———